

पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपरिथत वकील वादी/प्रार्थी ने उपरिथत होकर जाहिर किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारिज/नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते है तथा इस आशय के आदेशिका पर हस्ताक्षर किये । कलस्वरुप प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज /नोट प्रेस में खारिज किया जाता है । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखील दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

